

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:पं.27(3)(8)/पदो/अभि/22/2776-2223 जयपुर,दिनांक:- 21/03/2023

आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पदों पर विभागीय पदोन्नति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान)नियम 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल-5 में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
1.	49	श्री बुद्धर मल पुत्र श्री रामेश्वर लाल	अनुसूचित जनजाति	01.04.2022
2.	95	श्री रामाराम पुत्र स्व.श्री पूनाराम	सामान्य	01.04.2022
3.	118	श्री देवी शंकर पुत्र श्री रामलाल	अनुसूचित जाति	01.04.2022
4.	126	श्रीमति मन्जू देवी पत्नी स्व. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	01.04.2022

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिको का कनिष्ठ सहायक के रिक्ति पद पर पदस्थापन आदेश अलग से जारी किया जावेगा। पदोन्नति पर इनका वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव,निदेशक अभियोजन।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि) राजस्थान जयपुर।
3. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
4. सम्बन्धित कार्मिक..... द्वारा:- सहायक निदेशक अभियोजन।
5. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक कनिष्ठ) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
Signature valid

Digitally signed by Ray Sharma
Designation: Director
Date: 2023.03.21 10:39:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3452330

